

१

राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल
देहरादून

संख्या— 10,079 /जी०एस०/2001
दिनांक 11 जुलाई, 2001

प्रेषक,

राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव
उत्तरांचल।

सेवा में.

कुल सचिव,
है०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

महोदय,

आपके पत्र संख्या—सम्बद्धता/है०न०ग०वि०वि०/सी०डी०सी०/ 2001/666 दिनांक 12 जून 2001 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा -37 (2) के अधीन गुरु रामदास गल्स डिग्री कालेज देहरादून को कला संकाय में स्नातक स्तर पर स्वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, वनोविज्ञान एवं राजनीति-शास्त्र विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के बी०कॉम पाठ्यक्रम में दिनांक 1-7-2001 से 30-6-2002 (एक वर्ष) तक की अवधि के लिए अरथाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गई है :—

1. संरथा द्वारा संस्थान में स्नातक स्तर के उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस आदि शासनादेश संख्या—196 (सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11-11-97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर लिया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त महाविद्यालय को व्यावसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा।
2. शिक्षकों की भर्ती उक्त शासनादेश दिनांक 11-11-97 या इस सम्बन्ध में तदोपरान्त जारी किये गये आदेशों/निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
3. सरथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगी कि विद्यार्थियों के प्रवेश लिये जाने के पूर्व संस्था द्वारा अवस्थापना के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति कर ली गयी है।

क्रमांक:.....2

4. संरथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से परिपालन करेगी।
5. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि महाविद्यालय में प्रश्नगत विषय में अध्यापकों की नियुक्ति मानकों के अनुसार प्रबन्ध समिति द्वारा कर ली गयी है।
6. भविष्य में अग्रेतर अवधि का विस्तरण का प्रस्ताव सभी कमियों को पूर्ण किये जाने की दशा में ही प्रस्ताव माननीय कुलाधिपति/शासन के उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा उल्लिखित अवधियों की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

एन० रवि शंकर
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या- 10,079 (1) / जी०एस० 2001 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. प्रबन्धक, गुरुरामदास गल्स डिग्री कालेज, देहरादून।
3. गार्ड फाइल हेतु।

१०७८८
(ए०के० ढौंडियाल)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल
देहरादून

(2)

संख्या: /जी.एस./शिक्षा/2003
देहरादून दिनांक 01 अगस्त, 2003

प्रेषक,

राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव,
उत्तरांचल।

सेवा में,

कुल सचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर,—गढ़वाल।

महोदय,

आपके पत्रांक संख्या—ग0वि0वि0/मान्यता/1047, दिनांक 06.07.2002 एवं उत्तरांचल शासन के मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा) की पत्रावली सं0 710/(उ0शि0)/2002 की संस्तुति के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने 01प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) (यथा प्रवृत्त उत्तरांचल राज्य) के अधीन जी0आर0डी0 गल्स डिग्री कालेज, देहरादून को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान एवं राजनीति विज्ञान विषयों में तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0कॉम पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता के विस्तरण की स्वीकृति दिनांक 01.07.2002 से दिनांक 30.6.2005 तक (तीन वर्ष) की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था द्वारा संस्थान में स्नातक स्तर के उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस, आदि शासनादेश संख्या—1960/सत्तर-2-५७(85) 97, दिनांक 11-11-97 के अनुसार या भविष्य में समय—समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर लिया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त महाविद्यालय को व्यावसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा।
2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-11-97 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार या भविष्य में समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संस्थान में शिक्षकों की भर्ती आदि की जायेगी। इस आशय का शपथपत्र विश्वविद्यालय को दिया जायेगा।
3. संस्था इस आशय का भी शपथ—पत्र प्रस्तुत करेगी कि विद्यार्थियों के प्रवेश लिये जाने के पूर्व संस्था द्वारा अवस्थापना के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति कर ली गई है।

क्रमश...2



①

राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल देहरादून

संख्या: / जी.एस./ (83) / सम्बद्धता / 2003
देहरादून : दिनांक 15 नवम्बर, 2003

प्रेषक,

सेवा में,

राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,
उत्तरांचल ।

कुल सचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर—गढ़वाल ।

महोदय,

आपके पत्रांक दिनांक 03-09-2003 एवं मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा) उत्तरांचल शासन की पत्रावली सं0- 710/उ0शि0/2003 की संस्तुति के कम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने 03प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 (2) (यथा प्रवृत्त उत्तरांचल राज्य) के अधीन जी0आर0डी0 गर्ल्स डिग्री कालेज, देहरादून को बी0एस.सी0 गृह विज्ञान (चार वर्षीय) एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रमों को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2003 से दिनांक 30.06.2004 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिये अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :—

1. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-11-97 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार या भविष्य में समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संस्थान में शिक्षकों की भर्ती आदि की जायेगी। इस आशय का शपथपत्र विश्वविद्यालय को दिया जायेगा।
2. संस्था द्वारा शासन/माननीय कुलाधिपति महोदय/स्टेट्यूटरी बॉडी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
4. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि संस्था में प्रश्नगत विषय में अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति प्रवेश से पूर्व कर ली गई है।
5. संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। पाठ्यक्रम व्यावसायिक आधार पर नहीं चलाया जायेगा।



राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल देहरादून

संख्या: - /जी.एस.(83)/ सम्बद्धता/ 2004
देहरादून : दिनांक /७ जून, 2004

प्रेषवर्,

राज्यपाल / कुलाधिपति के संघिय,
उत्तरांचल ।

रोवा में,

युग्म सचिव,
हेमवती नन्दन वहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर-गढ़वाल ।

गहोदय

महादय,
आपके पत्र दिनांक 11-03-2004 एवं मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा) उत्तरांचल शप्तरान यी पत्रापत्री रां०-२७९/उ०शि०/२००४ की संस्तुति के कम में युज्ञे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गणगाहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य प्रिश्विद्वालय अधिनियम 1973 यी धारा-३७ (२) (यथा प्रवृत्त उत्तरांचल राज्य) के अधीन यी०आर०छी० गर्ल्स डिग्री कालेज, देहरादून को यी०एसरी०- गृह विज्ञान (चार वर्षीय) एवं यी०वी०ए० पाठ्यक्रमों में दिनांक 01-07-2004 से दिनांक 30-06-20५५ तक (एक वर्ष) की अवधि के लिये अरथाई सम्बद्धता वित्तरण की स्थीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-11-97 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संस्थान में शिक्षकों की गति आदि की जायेगी। इस आशय वज्र शपथपत्र विश्वविद्यालय को दिया जायेगा।
 2. संख्या द्वारा शासन/गान्धीय गुलामिपति भवोदय/रटेड्यूटी वॉर्डी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
 3. संख्या विश्वविद्यालय की परिनियामावली गें उल्लिखित अस्थाई साचहता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगा।
 4. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि संस्था में प्रश्नगत विषय में आई अध्यापकों की नियुक्ति प्रदेश से पूर्व कर ली गई है।



राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल
देहरादून

संख्या: /जी.एस./ (83) / सम्बद्धता / 2005
देहरादून : दिनांक / ६ जुलाई, 2005

प्रेषक,

राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,
उत्तरांचल ।

सेवा में,

कुल सचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर—गढ़वाल ।

महोदय,

आपके पत्रांक दिनांक 03-12-2004 एवं मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा) उत्तरांचल शासन की पत्रावली सं0-461/XXIV(7)/2005 की संस्तुति के कम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने ०३.०१.२००५ राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37(2) (यथा प्रवृत्त उत्तरांचल राज्य) के अधीन जी०आर०डी० गर्ल्स डिग्री कालेज देहरादून को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान एवं राजनीति विज्ञान, बी०काम०, बी०एस०सी० गृहविज्ञान तथा बी०बी०ए० पाठ्यक्रमों में दिनांक ०१-०७-२००५ से ३०-०६-२००८ तक (तीन वर्ष) की अवधि के लिये अस्थाई सम्बद्धता के विस्तारण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11-11-97 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संस्थान में शिक्षकों की भर्ती आदि की जायेगी। इस आशय का शपथपत्र विश्वविद्यालय को दिया जायेगा।
2. संस्था द्वारा शासन/माननीय कुलाधिपति महोदय/स्टेट्यूटरी बॉडी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
4. संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अह शिक्षकों की नियुक्ति की गई है जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति वर्ष की जानी होगी।
5. संस्था द्वारा दूसरे विश्वविद्यालय कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।



राजभवन

राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड
देहरादून

संख्या: ३१२५/जी.एस./शिक्षा/सम्बद्धता-153/2008
देहरादून : दिनांक १५ जनवरी 2009

प्रेषक,

एस० रामास्वामी,
राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

कुलसचिव,
है०न०ब० गढवाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढवाल।

महोदय,

मानव संसाधन विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली सं०-४३२/XXIV/
(6) 2008 की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति
महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा- 37(2) (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड
राज्य) के अधीन जी०आर०डी० गर्ल्स डिग्री कालेज निरंजपुर देहरादून को बी०ए० अंग्रेजी अर्थशास्त्र,
समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, बी०काम, बी०ए०स-सी० गृह विज्ञान एवं बी०बी०ए०
पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष 2008-09 (एक वर्ष) के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नलिखित
शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :-

1- शासनादेश दिनांक 11-11-97 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार या भविष्य में
समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संस्थान में शिक्षकों की भर्ती आदि की जायेगी। इस
आशय का शपथपत्र विश्वविद्यालय को दिया जायेगा।

2- संस्था द्वारा शासन/माननीय कुलाधिपति महोदय/स्टेट्यूटरी बॉडी के आदेशों/निर्देशों
का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

3- संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से सम्बन्धित
परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।

4- विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि संस्था में प्रश्नगत विषय में अर्ह
अध्यापकों की नियुक्ति प्रवेश से पूर्व कर ली गई है।

5- छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा एवं पाठ्यक्रम
प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जानी होगी।

6- संस्था द्वारा दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया
जायेगा।

7- संस्था में आधारभूत सुविधाओं की स्थापना होने तथा अर्ह फैकल्टी नियुक्त होने की पुष्टि
विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

8- यदि संस्था द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी
स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने
के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

क्रमशः.....

वती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
wati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174



दूरभाष : Telephone :-(01346)-252143, 252167, 252170
फैक्स : Fax : (01346)-252174, 252247
तार : Telegram : "यूनिगढ" UNIGARH

मान्यता — 1498

Date 28/6/09

सेवा में,

सचिव / निदेशक,
जी०आर०डी०गल्स० डिग्री कालेज,
निरंजन पुर, नियर पुलिस लाइन,
पटेल नगर, देहरादून।

महोदय,

कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए जी० आर० डी०गल्स० डिग्री कालेज, निरंजन पुर, नियर पुलिस लाइन, पटेल नगर, देहरादून में संचालित पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा पूर्व स्वीकृत बी०ए०-हिन्दी, अग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, स्नोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र-60, बी०काम-60, बी०एस-सी० गृह विज्ञान-30 एवं बी०बी०ए०-30 सीटों के साथ सत्र 2009-2010 तक (एक वर्ष) के लिए अधिनियम की धारा 4(F) एवं 46 (2) के अनुसार अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गई है।

1. संस्था द्वारा एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।
2. संस्थान द्वारा छः माह के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति य०जी०सी० द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार विश्वविद्यालय नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करना होगा।
3. संस्था द्वारा शिक्षकों को य०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे चैक के माध्यम से करना होगा।
4. संस्था द्वारा कुलपति महोदय/स्टेटयूटरी बाड़ी के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

ह०न०ब०गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. अधीक्षक, व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

कुलसचिव

ह०न०ब०गढ़वाल विश्वविद्यालय,
श्रीनगर गढ़वाल।

00-001-0886 19618 0000000000000000

Digitized by srujanika@gmail.com

हेमवती नन्दन बहुगुणा गठबाल कित्तविद्यालय, वैद्यनाथ (गढ़वाल) उत्तराखण्ड... 246174
क्रमसंख्या ५४३

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
Central University



४८

संक्षिप्त / वर्णालय
ज्ञानोदयक एवं सम्मुखीन द्वितीय छात्रावलम्बन
निराशन पूर्ण किया गया है। इसके संक्षेप
पढ़ाइल द्वारा उत्तीर्ण होना चाहिए।

三

प्रियोक्ता रामेश्वर का समूचे दिनांक 20-७-२०१३ का १३-०६-२०१२ के आधार पर कल उसे भावोदय डाय फर्मेंट इंडियन्स लिमिटेड २००५ का दसवाह की अंतर 11(३) के निहित विवेक के द्वयाग करने ही अंतर्भुक्त नहीं है। वे २०१३ के अनुसार जीवित होने के दौरान कालज निष्ठान एवं उत्तम व्यवस्था द्वारा उनके लिये अप्राप्त अवश्यक व्यवस्था निष्ठान एवं उत्तम व्यवस्था का दृष्टिकोण २०१२-१३ में, वो वाहू-८००००० लैंगरस्ट्रुचर्स नमूदङ्ग-१००००० लैंग्ट लैंड लैंडफोर्म अंतर्भुक्त के रूप में आये। वे २०१२-१३ (एक वर्ष) के दौरान उसके लिये इसका अंतर्भुक्त रूप व्यवस्था अवश्यक वै २५ घंटों के समय से २०१२-१३ (एक वर्ष) के दौरान उसके लिये इसका अंतर्भुक्त रूप व्यवस्था वै यद्यपि की गयी है कि बालैंग को पाठ्यक्रम के दौरान उत्तम व्यवस्था के दौरान भास्तकानुसार और पुस्तकों का काम करनी होगी।

अन्य ग्राहितच लिप्तव्यह इति-

માત્રાદ

प्रतिक्रिया - १. का अधिकारी ने उम्मीदवार को उम्मीद वाले द्वारा देखिये कि उम्मीद संस्थान का
३. अधिकारी ने उम्मीदवार को उम्मीद वाले द्वारा देखिये कि उम्मीद संस्थान का



दूरभाष (01346)-252143, 252167, 252170

फैक्स (01346)-252174, 25224

वेबसाइट- Website www.hnbgu.ac.in

मत्रांक:- मान्यता / 735,

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
जी0आर0डी0गल्स डिग्री कालेज,
निरंजनपुर, नियर पुलिस लाइन,
पटेल नगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समितियों की संस्तुति दिनांक 12-08-2013 के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार जी0आर0डी0गल्स डिग्री कालेज, निरंजनपुर, देहरादून में संचालित बी0बी0ए0-30सीट, बी0काम0-60सीट एवं एम0कॉम0 पाठ्यक्रम में 25 सीटों के साथ सत्र 2013-14 (एक वर्ष) के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध पर प्रदान की गई है कि कालेज को उक्त पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त कम्प्यूटर, पुस्तकें क्य करनी होंगी तथा यू0जी0सी0 नियमानुसार फैकल्टी की नियुक्ति कर तीन माह के अन्तर्गत इन कमियों को पूर्ण कर सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करानी होगी।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होगे:-

1. महाविद्यालय को सभी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
3. महाविद्यालय को एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. महाविद्यालय को कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
5. महाविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
6. महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

भवदीय

प्रो0पी0एस0राणा

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. उप कुलसचिव परीक्षा।

2. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सैक्षण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संस्थान की सम्बद्धता वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

प्रो0पी0एस0राणा

कुलसचिव

Vashisht
01/14



पत्रांक:- मान्यता / १८१,

दिनांक. ३१-७-१४

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
जी०आर०डी०गल्स डिग्री कालेज,
निरंजनपुर, नियर पुलिस लाइन,
पटेल नगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 22-06-2014 तथा निरीक्षण समिति को प्रबन्धन द्वारा दिए गये 28 बिन्दुओं के षष्ठ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) मे निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार जी०आर०डी०गल्स डिग्री कालेज, निरंजनपुर, देहरादून मे संचालित बी०बी०ए०-३०सीट, बी०काम०-६० सीट एवं एम०कॉम० पाठ्यक्रम मे 25 सीटों के साथ सत्र 2014-15 (एक वर्ष) के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध पर प्रदान की गई है कि— 28 बिन्दुओं के षष्ठ पत्र मे अंकित शर्तों का पालन न करने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इसके लिए कालेज स्वयं उत्तरदायी होगा।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:—

1. महाविद्यालय को सभी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को य०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
3. महाविद्यालय को एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. महाविद्यालय को कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
5. महाविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
6. महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

भवदीय

प्रो०पी०एस०राणा

कुलसचिव

प्रतिलिपि:— 1. उप कुलसचिव परीक्षा।

2. सिस्टम मैनेजर, कंप्यूटर सैक्षण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संस्थान की सम्बद्धता वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

प्रो०पी०एस०राणा

कुलसचिव

Xmas
10/14



शंकः—मान्यता/1461,

दिनांक. 17-7-14

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,
जी0आर0डी0गल्सर्स डिग्री कालेज,
निरंजनपुर, नियर पुलिस लाइन,
पटेल नगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समितियों की संस्तुति दिनांक 22-06-2014 तथा निरीक्षण समिति को प्रबन्धन द्वारा दिए गये 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार जी0आर0डी0गल्सर्स डिग्री कालेज, निरंजनपुर, देहरादून में संचालित स्नातक कला के हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिविज्ञान पाठ्यक्रमों में 60-60 सीट तथा बी0एस0सी0 गृहविज्ञान पाठ्यक्रम में 30 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2014-15 (एक वर्ष) के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी है कि 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र में अंकित शर्तों का पालन न करने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा इसके लिए कालेज स्वयं उत्तरदायी होगा।

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगे:-

1. महाविद्यालय को सभी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
3. महाविद्यालय को एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. महाविद्यालय को कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
5. महाविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
6. महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

भवदीय

प्रो0पी0एस0राणा
कुलसचिव

प्रो0पी0एस0राणा
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. उप कुलसचिव परीक्षा।

2. सिस्टम मैनेजर, कंप्यूटर सैक्षण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संस्थान की सम्बद्धता वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

15/10/14

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
(A Central University)



दूरभाष (01346)-252143, 252167, 252170

फैक्स (01346)-252174, 252247

वेबसाइट— Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांकः—मान्यता/२०१४

दिनांक २२/०५/१५

सेवा में,

✓ सचिव / प्राचार्य,
जी०आर०ड००गल्स० डिग्री कालेज,
निरंजनपुर, नियर पुलिस लाइन,
पटेल नगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 22.06.2014 तथा निरीक्षण समिति को प्रबन्धन द्वारा दिए गये 28 विन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार जी०आर०ड००गल्स० डिग्री कालेज, निरंजनपुर, देहरादून को एम०ए० अंग्रेजी विषय में 30 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है।

1. महाविद्यालय को सभी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को धू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
3. महाविद्यालय को एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. महाविद्यालय को कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
5. महाविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
6. महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

भवदीय

प्रो०पी०एस०राणा
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. उप कुलसचिव परीक्षा।
2. विशेष कार्याधिकारी कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

प्रो०पी०एस०राणा
कुलसचिव

वर्त नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड - 246174

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
(A Central University)

डॉ० १० के० झा
कुलसचिव

Dr. A.K.Jha
Registrar



दूरगाप (01346)-252143, 252167, 252170

फैक्स (01346)-252174, 252247

वेबसाइट-Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक:- मान्यता / ५०८०

दिनांक २६-७-१५

सेवा में,

प्राचार्य / सचिव

जी०आर०डी०गर्ल्स डिग्री कालेज,
निरंजनपुर, नियर पुलिस लाइन,
पटेल नगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 26.07.2015 तथा निरीक्षण समिति को कालेज प्रबन्धन द्वारा दिए गये 28 विद्युओं के धपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार जी०आर०डी०गर्ल्स डिग्री कालेज, निरंजनपुर, देहरादून में संचालित स्नातक कला के हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र पाठ्यक्रमों में 60-60 सीट, एम०ए० अंग्रेजी-30सीट, बी०एस०री० गृहविज्ञान-30सीट, बी०वी०ए०-30सीट बी०काम०-60सीट- एवं एम०काम० पाठ्यक्रम में 25 सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2015-16 (एक वर्ष) के लिए अग्रसर सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है।

1. महाविद्यालय को सभी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अहता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
3. महाविद्यालय को एस०री०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायें।
5. महाविद्यालय को कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. महाविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय का दूररथ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
7. महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा गांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

भवदीय

ए० के० झा
कुलसचिव

- प्रतिलिपि:-
1. उप कुलसचिव परीक्षा।
 2. कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. गार्ड फाईल।

ए० के० झा
कुलसचिव

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
(A Central University)



दूरभाष (01346)-252143, 252167, 252170

फैकरा (01346)-252174, 252247

वेबसाइट—Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक:-मान्यता/ ५८२।

दिनांक ३०-०६-१६

संवेदा में

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
जीपआर०डी०गल्ल० डिग्री कालेज,
निरंजनपुर, नियर पुलिस लाइन,
पटेल नगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्थुति दिनांक 06.03.2016 एवं निरीक्षण समिति को संरथान द्वारा दिये गये 28 विन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए उपधारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार जी०आर०डी०गल्ल० डिग्री कालेज, निरंजनपुर, पटेलनगर, देहरादून को शैक्षणिक सत्र 2016–17 से बी०सी०ए० पाठ्यक्रम में 30 सीट के साथ अखाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के राथ प्रदान की गयी है।

1. कालेज को सभी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे के माध्यम से करना होगा।
3. कालेज को एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे।
5. कालेज को कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. कालेज दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
7. कालेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत् करना होगा:-

1. एक माह के अर्त्तगत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्त्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा०(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपि:- 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति सचिवालय को सादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डा०(ए. के. मोहन्ती)
संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

॥ नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174

Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), Uttarakhand-246174
(A Central University)



दूरभाष (01346)-252143, 252167, 252170
फैक्स (01346)-252174, 252247
वेबसाइट-Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक:- मान्यता / ५९७०

सेवा में

दिनांक. ०९-०८-१६

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
जी०आर०डी० गल्स डिग्री कालेज,
प्रेमनगर, देहरादून।

विषय:- सत्र 2016-17 की सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में।
महोदय/महोदया,

निम्नांकित विषयों की सत्र 2016-17 की सम्बद्धता विस्तारण के लिए प्रस्तुत आपके प्रस्ताव संख्या-606, 07, 08, 09, 10, 11 दिनांक 14.05.2016 के कम में कालेज/संस्थान की आधारभूत सुविधाओं (यथा भूमि, भवन, कक्ष, कक्ष, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय फैकल्टी आदि) के निरीक्षण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निम्न समिति का गठन किया गया है।

सम्बद्धता विस्तारण

- वी०ए०-हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र-60-60सीट
वी०काम-60सीट
वी०एस-सी० गृह विज्ञान-30सीट
वी०वी०ए०-30सीट
एम०कॉम०-25सीट
एम०ए० अंग्रेजी-30सीट

निरीक्षण समिति

- प्रो० सुरेखा उंगवाल, अंग्रेजी विभाग, है०न०य०ग०वि�०वि�०परिसर, श्रीनगर। मो०-9412902725 संयोजक
- डा० गुडडी विष्ट, हिन्दी विभाग, है०न०य०ग०वि�०वि�०परिसर पौडी। मो०-9412356344
- डा० आर०एस०नैगी, इतिहास विभाग, है०न०य०ग०विठ०परिसर श्रीनगर। नो०-9411351368
- डा० अनिता सती, गृहविज्ञान विभाग, है०न०य०ग०वि�०वि�०परिसर श्रीनगर। दूरभाष-01346 25252486
- डा० कै०ए०रमोला, वाणिज्य विभाग, है०न०य०ग०वि�०वि�०परिसर वादशाहीथौल, टिहरी। मो०-9412971493

कृपया निरीक्षण समिति के संयोजक तथा अन्य सभी सम्मानित सदस्यों से सम्पर्क कर 15 दिन के अन्तर्गत निरीक्षण करवाने का कष्ट करें।

नोट:- निरीक्षण समिति के सभी सदस्यों को यात्रा भत्ते का भुगतान कालेज/संस्थान द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

डा०(ए.के.मोहन्ती)

संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपि:- समिति के संयोजक/सम्मानित सदस्य महानुभावों को इस आशय से प्रेषित कि:- कालेज/संस्थान से उपरोक्त विषयों की सम्बद्धता विस्तारण/सीट वृद्धि के लिए प्राप्त प्रस्ताव मूलरूप से इस आशय से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि कालेज/संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अंकित सूचनाओं का सत्यापन करते हुए संलग्न रिपोर्ट प्रपत्र पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण तिथि के 03 दिनों वा अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि 15 दिनों के अन्तर्गत निरीक्षण सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति से अनुरोध है कि यह कालेज पूर्व में निरंजनपुर, पटेलनगर, देहरादून में संचालित किया जाता था कालेज ने शपथ-पत्र दिया है कि सत्र 2016-17 से कालेज पूर्णरूप से प्रेमनगर, देहरादून में संचालित किया जायेगा। अतः इसके लिए निरीक्षण करने का कष्ट करें कि क्या कालेज पूर्णरूप से प्रेमनगर में स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा नये परिसर में उपरोक्त सभी विषयों के संचालन के लिए सभी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध हैं?

कृपया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार निरीक्षण करने का कष्ट करें।

डा०(ए.के.मोहन्ती)

संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
 Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
 (A Central University)



दूरभाष (01346)-252143, 252167, 252170
 फैक्स (01346)-252174, 252247
 वेबसाइट-Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांक:-मान्यता/6174

दिनांक २५-१०-

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
 जी0आर0डी0 गर्ल्स डिग्री कालेज,
 प्रेमनगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 06.10.2016 एवं निरीक्षण समिति को प्राचार्य द्वारा दिये गये 28 बिन्दुओं के शपथ पर के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों व उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 45 (2) के अनुसार जी0आर0डी0गर्ल्स डिग्री कालेज प्रेमनगर, देहरादून संचालित वी0ए०- अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र- 60-60सीट, वी0काम0-60सीट वी0वी0ए०-30सीट, एम0काम0-25सीट एवं एम0ए० अंग्रेजी विषय में 30सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए अस्थान सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है।

1. कालेज को सभी पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यूजी0सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. कालेज को एस०सी०/एस०टी०/ओ०वी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा।
5. कालेज को कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. कालेज दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
7. कालेज विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु वाय्य होगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:-

1. एक माह के अर्त्तगत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यालय ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अर्त्तगत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा०(ए. के. मांहन्ती)

संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

प्रतिलिपि:- 1. उपकुलसचिव परीक्षा।

2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति राजिवालय को रादर सूचनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डा०(ए. के. मांहन्ती)

रायुक्त कुलसचिव, मान्यता

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) उत्तराखण्ड – 246174
 केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar(Garhwal), Uttarakhand-246174
 (A Central University)



दूरभाष (01346)-252143, 252167, 252170
 फैक्स (01346)-252174, 252247
 वेबसाइट—Website www.hnbgu.ac.in

पत्रांकः—मान्यता/ 6688

दिनांक 16/10/17

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/सचिव
 जी0आर0डी0 गर्ल्स डिग्री कालेज,
 प्रेमनगर, देहरादून।

महोदय,

निरीक्षण समिति की संस्तुति दिनांक 11.09.2017 एवं निरीक्षण समिति को प्राचार्य द्वारा दिये गये 28 बिन्दुओं के शपथ पत्र के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11 (3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) के अनुसार जी0आर0डी0 गर्ल्स डिग्री कालेज प्रेमनगर, देहरादून में संचालित बी0ए0— अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र— 60—60सीट, बी0काम0—60सीट, बी0बी0ए0—30सीट, बी0सी0ए0— 30सीट, एम0काम0—25सीट, एम0ए0 अंग्रेजी—30सीट, बी0एस—सी0 (भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, गणित)—60—60सीट एवं बी0एस—सी0 गुहविज्ञान विषय में 30सीट के साथ शैक्षणिक सत्र 2017–18 के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है।

1. सभी पाठ्यक्रमों के लिए यू०जी०जी०/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।
2. शिक्षकों को यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान एकाउन्ट पे माध्यम से करना होगा।
3. एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० के छात्रों को नियमानुसार आरक्षण देना होगा।
4. इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए निर्धारित परिसर में किसी अन्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे तथा दूसरे विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं करेगा।
5. कुलपति महोदय के आदेश/निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई सूचनाओं का उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगा।
7. निरीक्षण के समय सभी शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के फार्म—16 देने होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन निम्नवत करना होगा:-

1. एक माह के अन्तर्गत फैकल्टी के नियुक्ति पत्र एवं कार्यभार ग्रहण करने की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।
2. प्रत्येक तीन माह में फैकल्टी को किये गये वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेन्ट विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
3. स्वीकृत सीटों पर दिये गये प्रवेशों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण सहित सूची विश्वविद्यालय को तीन माह के अन्तर्गत उपलब्ध करानी होगी।
4. उपरोक्त का अनुपालन न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

डा०(ए. के. मोहन्ती)
 संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

- प्रतिलिपि:- 1. उपकुलसचिव परीक्षा।
 2. प्रति कुलपति, कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
 3. गार्ड फाइल।

डा०(ए. के. मोहन्ती)
 संयुक्त कुलसचिव, मान्यता

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY
 (A Central University)
 Srinagar (Garhwal) Uttarakhand-246174
 Affiliation Management
 Affiliation Payment Receipt



College/Dept Name: G.R.D. Girls Degree College
 Request No: AFFREC2021-234
 Payment Mode: ONLINE
 Reference No: AP2022010164181277890659101
 Payment Date: 10/01/2022
 Order Id: 100864
 ChairPerson Exp: 17300
 Academician Exp: 17300
 Higher Education Representative Exp: 17300
 Engineer Exp: 17300

Sr.N	Programme Type	Programme Name	Subject Branch Name	Existing Intake	Affiliation Fee	Expert Fee
					0	5000
1	Post Graduate	Master of Arts (English)		30	5000	17300
2	Post Graduate	Master of Commerce		25	5000	17300
3	Under Graduate	B.Sc. (Home Science)		30	5000	17300
4	Under Graduate	Bachelor of Arts	Economics, Education, English, Political Science, Psychology, Sociology	60	10000	103800
5	Under Graduate	Bachelor of Business Administration		30	5000	17300
6	Under Graduate	Bachelor of Commerce		60	5000	17300
7	Under Graduate	Bachelor of Science	Chemistry, Mathematics, Physics	60	5000	51900
					Total:	351400

Principal
 GRD Girls Degree College
 Dehradun

GRD Girls Degree College
 Dehradun
 Principal



हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
 Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
 श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड) - 246174
 Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
 (A Central University)

दूरध्वाप / Telephone: 01346 - 252143 (O)
 फैक्स / Fax : 01346 - 252247 (O)
 ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

क्र. : हे.न.ब.ग.वि.वि. / मान्यता / 2021 / 118

दिनांक : १६ / ०३ / २०२१

प्रगाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जी0आर0डी0 गर्ल्स डिग्री कालेज, प्रेमनगर, देहरादून वर्तमान (सत्र 2020-21) में हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल से सम्बद्ध रखित पांचित कालेज/संरथान है।

इस कालेज/संरथान में सत्र 2017-18 के विवरणानुसार रखित पांचित में निम्नांकित पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:-

क्र0सं0	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट	सम्बद्धता की स्थिति
1	वी0ए0- अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, सामाजिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गणितज्ञान, राजनीतिशास्त्र	60-60	स्वित्त पांचित
2	वी0काम	60	स्वित्त पांचित
3	वी0एस-सी0 गृहज्ञान	30	स्वित्त पांचित
4	वी0वी0ए0	30	स्वित्त पांचित
5	एम0कॉम0	25	स्वित्त पांचित
6	एम0ए0 अंग्रेजी	30	स्वित्त पांचित
7	वी0एस-सी0 भौतिकज्ञान, रसायनज्ञान, गणित	60-60	स्वित्त पांचित

डॉ0 अजय कुमार खण्डूडी

कुलसंचिव

Done 6/03/2021